7/2016/सख्या-249/94-स्टा0नि0-2-2016-700(01)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक निबन्धन,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समत मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
1. समत जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/1063/94/स्टा0नि0-2015-700(01)/2015 दिनांक 4 नवम्बर,2015, शासनादेश संख्या-28/2015/संख्या-1312/94/स्टा0नि0-2-2015-700(01)/ 2015 दिनांक19, नवम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्व्ारा स्टाम्प वादों त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि शीध्रातिशीध्र प्राप्त करने एवंज जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 29.02.2016 की अवधि तक स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना लागू की गयी थी। उक्त योजना को दिनाक 31.03.2016 तक विस्तारित किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-229/94-स्टा0नि0-2015-700(01)/2015 दिनांक 29.02.2016 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि इस योजना के अन्र्तगत स्टाम्प वाद का निस्तारण किये जाने हेतु पक्षकार द्वारा स्टाम्प की कमी व नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त अर्थ दण्ड के रूप में रू0 10/- की धनराशि जमा किये जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व्ारा स्टाम्प वाद को समाप्त करते हुए अंतिम आदेश पारित किये गए हैं, किन्तु उसके उपरान्त पक्षकार से सटाम्प कमी की धनराशि जमा नही कराई गई है, जो उचित नही है। इस योजना के अन्र्तगत पक्षकार द्वारा स्टाम्प वाद का समाधान किये जाने हेतु सहमत होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अंतरिम आदेश पारित किए जाये, पक्षकार द्वारा स्टाम्प की कमी नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में रू0 10/- की धनराशि जमा किये जाने के पश्चात स्टाम्प वाद का समाधान करते हुए अन्तिम आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में मुझे यह भी अ्वगत कराने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प वाद की समाधान योजना के अन्र्तगत जो पक्षकार अपना वाद समाप्त करने हेतु इच्छुक नहीं है व आवेदन नही करते हैं, उन वादों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार पर स्टाम्प की कमी व उस पर नियमानुसार देय ब्याज पर उचित अर्थ दण्ड अधिरोपित करके आर0सी0 जारी कर स्टाम्प वाद का निस्तारण किये जाने व आर0सी0 की धनराशि को व्सूल किये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारियों की बहुधा अन्य प्रशासकीय कार्यो में व्यस्तता के कारण वादों के समयबद्ध रूप से निस्तारण में कठिनाई होती है। अतः यह भी अनुरोध है कि जनपद के अधिकाधिक स्टाम्प वाद जनपद के सहायक आयुक्त, स्टाम्प को स्थानान्तरित करते हुए उनके द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

7/2016/सख्या-249/94-स्टा0नि0-2-2016-700(01)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त सी0सी0आर0ए0 को भी उपरोक्त से अवगत कराने का कष्ट करें।

(2)समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।

(3)समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(4)समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव